न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

01

झालो गोप वगै0 बनाम् रामचन्द्र यादव वगै0

विविध वाद संख्या –61 / 2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. झालो गोप, पिता – स्व0 विश्वनाथ गोप,
2. हुलास गोप, पिता – स्व0 विश्वनाथ गोप,

दोनों साकिन – मंधनियाँ, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. रामचन्द्र यादव, पिता – बंधन यादव,
2. सुरेश यादव, पिता – बंधन यादव,
3. पप्पु यादव, पिता – रामचन्द्र यादव,
4. पप्पु यादव, पिता – रामचन्द्र यादव,

सभी साकिन– मंधनियाँ, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बड़कीसरिया	04	4467	51 डी0 मधे 4.75 डी0	उ0– बंधन गोप, द0– विश्वनाथ गोप वो बासदेव गोप, पु0– गानो सुण्डी, प0– खोशन गोप।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 03.05.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. अमरीत गोवार के नाम से ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति, कुल – 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. अमरीत गोवार, पिता – ललीत गोवार के नाम से ऑनलाईन रजिस्टर II की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. अमरीत गोवार के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति–कुल 01 पृष्ठ,**प्रदर्श A-4**

5. नजरीया नक्शा की छायाप्रति, कुल 1 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. झालो गोप एवं हुलास गोप के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 03.05.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि उभय पक्ष एक ही वंश वृक्ष से आते है जो वंशावली इस प्रकार है:–

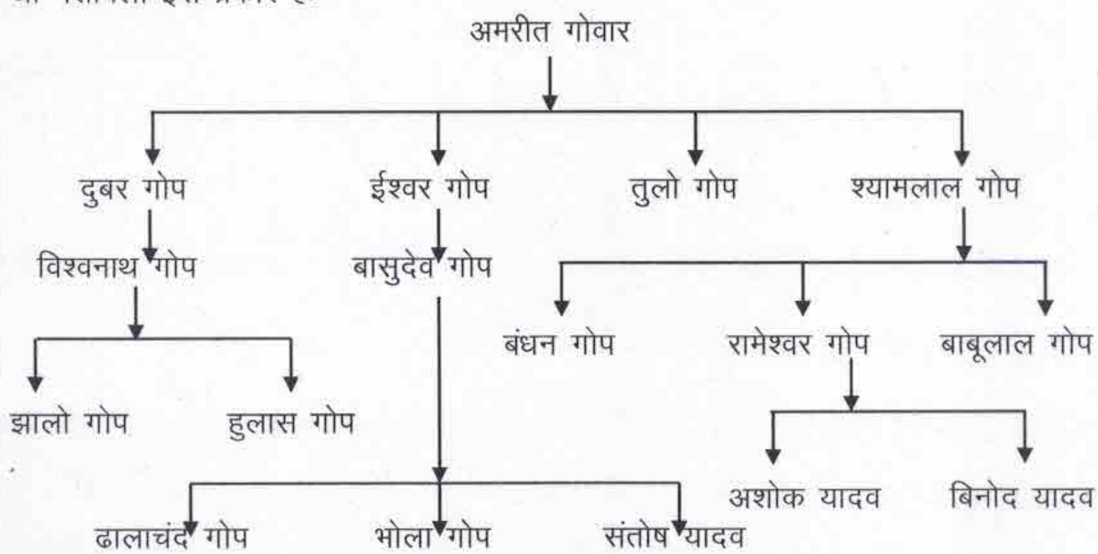

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि मौजा – बड़की सरिया, थाना नं0 – 44, खाता नं0 – 4, प्लॉट नं0 – 4467, रकबा – 51 डी0 जमीन, जिसकी चौहदी उ0 – टांड मुरत गोआर, द0 – रास्ता, पू0 – गानो सुण्डी, प0 – रास्ता, अवस्थित भूमि उभय पक्ष के पूर्वज अमरीत गोवार वल्द ललीत गोवार के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है, जिसका राजस्व रसीद निर्गत होते चला आ रहा है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि अमरीत गोवार के चार पुत्र दुबर गोप, ईश्वर गोप, तुलो गोप, श्यामलाल गोप हुए इस अनुसार प्रत्येक के हिस्से में 12.75 डी0 करके होता है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि प्रथम पक्ष हक हिस्से की जमीन 12.75 डी0 में से लगभग 08 डी0 जमीन पर प्रथम पक्ष के पिता – ने मकान सहन बनाकर आद–औलाद वास निवास करते आ रहे है।

आवेदन का प्वांइट नं0 06 – यह कि इसी अनुसार अमरीत गोवार के पुत्रान एवं वारिसान अपने -- अपने हक हिस्सा की जमीन पर घर मकान बना चुके है।

आवेदन का प्वांइट नं0 07 – यह कि प्रथम पक्ष का लगभग 4.75 डी0 जिसकी हाल चौहदी उ0 – बन्धन गोप, द0 – विश्वनाथ गोप, बासुदेव गोप, पू0 – गानो सुण्डी, प0 – खोशन गोप अवस्थित है। जो जमीन परती है, जिसपर दिनांक – 27.04.2024 ई0 समय प्रातः 07 बजे से द्वित्तीय पक्ष के लोग जबरन जे0सी0बी0 लगाकर निर्माण कार्य करने वास्ते बुनियाद काट दिये तथा ईट, पत्थर एवं लोहे का सरिया गिराकर कार्य प्रारंभ कर दिये है। जब प्रथम पक्ष के लोग मना करने गये तो द्वित्तीय पक्ष के लोग मारकाट पर उतारू हो गये और प्रथम पक्ष को धमकी दिये है, कि यदि स्थल पर दोबारा आया तो मारकर यहीं जमीन पर गाड देगें।

(03)

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 04.07.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. डेगन गोप वगै0 बनाम् मसोमात परनी के केवाला की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. नजरीया नक्शा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02(1) – वादग्रस्त भूमि अमरीत गोआर, ललीत गोआर वो मूरत गोआर वल्द गुरुदयाल गोआर के नाम पर इन्द्राज पाया गया है। जो वादग्रस्त भूमि **प्लॉट नं0 – 4467, रकबा – 51 डी0 बकब्जे अमृत गोआर के नाम पर दर्ज पाया गया है।**

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02(2) – खतियान के आधार पर वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी मांग पंजी II भाग संख्या – 92 से अमरीत गोआर के नाम पर जमाबंदी कायम है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02(03) – खतियान के अनुसार उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02(03)(1) – अमृता गोआर के हिस्से में रकबा – 51 डी0 होता है जिसमें अमृता गोआर अपने पीछे चार पुत्र कमशः 1. दुबर गोप 2. ईश्वर गोप 3. तुलो गोप 4. श्यामलाल गोप को छोड़कर स्वर्गवास हो गये।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02(03)(2) – अमृता गोआर के चारो पुत्रों के बीच अपने जीवन काल में ही रकबा – 51 डी0 मधे रकबा – 12.75 डी0 करके हिस्सा हुआ जिसमें चारों भाईयों का अपने – अपने हिस्से पर दखल कब्जा हो गया।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02(03)(3) – यह कि प्रथम पक्ष के एक मात्र पुत्र विश्वनाथ गोप के पुत्र हुए। तथा विश्वनाथ गोप के दोनों पुत्र कमशः 1. झालो गोप एवं हुलास के द्वारा मुकदमा दायर किया गया। जिनके हिस्से में रकबा – 12.75 डी0 ही होना है। परन्तु प्रथम पक्ष के पास रकबा – 22.5 डी0 है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02(03)(4) – यह कि द्वित्तीय पक्ष के सदस्यगण श्यामलाल गोप के वंशज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि द्वित्तीय पक्ष के सदस्य को खतियान के आधार पर खाता नं0 – 4, प्लॉट नं0 – 4467, रकबा – 51 डी0 मधे रकबा – 12.75 डी0 हिस्सा एवं बजरीये केवाला संख्या – 2361, दिनांक – 15.04.1995 को मौजा – बड़की सरिया के अंदर खाता नं0 – 4, प्लॉट नं0 – 4467, रकबा – 15 डी0, चौहदी उ0 –

2024

खोसन गोप, द0 – बासुदेव गोप, पू0 – गल्ली , प0 – बासुदेव गोप की भूमि तुलो गोप के वंशज 1. डेगन गोप एवं सोहन गोप बनाम मसो0 परनी, पति– श्यामलाल गोप को हासिल है।

थाना सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का पत्रांक– DR No. – 915/24 दिनांक – 08.05.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

अंचल सरिया का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक– 334, दिनांक – 28.05.2024, अनुलग्नक सहित कुल – 03 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 – 02 पृष्ठ) – प्रदर्श D-1

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बड़कीसरिया	**04**	**4467**	**51 डी0 मधे 4.75 डी0**	**उ0– बंधन गोप, द0– विश्वनाथ गोप वो बासदेव गोप, पु0– गानो सुण्डी, प0– खोशन गोप।**

1. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 04, रैयती खाता की भूमि है, जो अमरीत गोवार, वल्द ललित गोवार के नाम पर दर्ज है।

2. उक्त विवादित भूमि ऑनलाईन जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या – 2, पृष्ठ संख्या – 92 पर अमरीत गोवार, पिता – ललित गोवार के नाम से दर्ज है, तथा वर्ष 2022–2023 तक सरकारी लगान रसीद भी निर्गत है।

3. **प्रथम पक्ष** का कहना है कि अमरीत गोवार के चार पुत्र –– 1. दुबर गोप, 2. ईश्वर गोप, 3. तुलो गोप, 4. श्यामलाल गोप हुए, इसके अनुसार प्लॉट संख्या – 4467, कुल रकबा – 51 डी0 में से प्रत्येक के हिस्से में 12.75 डी0 भूमि पड़ा, और इसी के अनुसार सभी लोग दखल कब्जा में आये।

   प्रथम पक्ष, दुबर गोप, पिता – अमरीत गोवार के वंशज हैं।

   प्रथम पक्ष का अपने हक – हिस्से की 12.75 डी0 जमीन में से लगभग 08 डी0 जमीन पर, प्रथम पक्ष का मकान बना हुआ है।

   शेष 4.75 डी0 जमीन परती है, जिस पर द्वित्तीय पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है।

05

4. **द्वित्तीय पक्ष** का कहना है कि उभय पक्ष एक ही खतियान धारी के वंशज हैं, द्वित्तीय पक्ष श्यामलाल गोप के वंशज हैं, और इसके अनुसार प्लॉट संख्या – 4467, कुल रकबा – 51 डी0 में उनलोगों का हिस्सा 12.75 डी0 पड़ा, और इस हिस्से के अतिरिक्त केवाला संख्या – 2361, दिनांक – 15.04.1995 के माध्यम से —– विक्रेता (1) डेगन गोप, पिता – स्व0 तुलो गोप (2) सोहन गोप, पिता – स्व0 तुलो गोप से —–– द्वित्तीय पक्ष के पूर्वज मसोमात परनी, पति – स्व0 श्यामलाल गोप को प्लॉट संख्या – 4467, रकबा – 15 डी0 जमीन खरीदगी से प्राप्त हुआ है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह विवाद दोनों पक्षों के बीच बंटवारा और हक हिस्सा से संबंधित है, जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10.07.2024 | 10.07.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी | अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया। | बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.08.22 12:59:36 +05:30
Location: 192.168.1.2